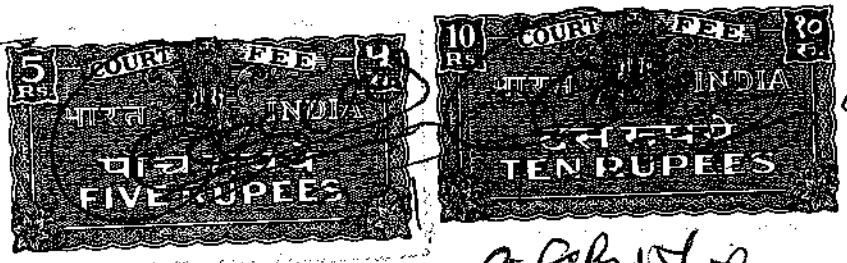

COURT FEE 5 Rs भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 10 Rs भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(15)

CPB 15/R

R - 626-IV/2001

31 MAR 2001

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००१ निगरानी

घनश्याम पुत्र कोश्या तेली, निवासी ग्राम तलावड़ा हाल निवासी बड़ौदा रोड श्योपुर कलां, तहसील व जिला श्योपुर, म०प्र० -- प्रार्थी

विरुद्ध

१। मूर्ति श्री सीताराम जी वार्के किला श्योपुर द्वारा राधेश्याम पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी मोहल्ला का खाम तहसील व जिला श्योपुर, म०प्र०

--- असल प्रतिप्रार्थी

२। मांगीलाल पुत्र कोश्या तेली निवासी तलावड़ा हाल निवासी बड़ौदा रोड श्योपुर

३। सीताराम पुत्र भैरूलाल निवासी तलावड़ा हाल निवासी चन्दपुरा, तहसील व जिला श्योपुर, म०प्र०

४। रामभजन पुत्र श्री भैरूलाल, निवासी ग्राम तलावड़ा, हाल निवासी चम्बल कालोनी तहसील व जिला श्योपुर, म०प्र०

तरतीबी प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग दिनांक ३१-१-२००१ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक १४०/९१-९२ अपील।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यह कि अपर आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है

(२) यह कि अपर आयुक्त महोदय ने दोनों अधीनस्थ न्या

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – 626–चार/01 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 140/91–92/अपील में पारित आदेश दिनांक 31–1–01 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने यह पाया है कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी के भूमिस्वामित्व की है, जिसके प्रबंधक कलेक्टर हैं । ऐसी भूमियां शासन की संपत्ति हैं और उन पर उपकृषक के रूप में कोई व्यक्ति दर्ज नहीं हो सकता है भले ही पुजारी द्वारा पट्टे पर जुता दी गई हो । उक्त कारणों से उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को आवश्यक निर्देशों के साथ उभयपक्षों को सुनकर गुणदोषों पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	